2016-17 में 5 per cent बढ़ी है। यह इसलिए हो रहा है कि जब स्वाभाविक रूप से मजदूरी का जो mechanism है, उसमें अधिक से अधिक खाने-पीने की वस्तुएं हैं। आपके ध्यान में होगा कि जो गरीब की गणना होती है, वह स्वाभाविक रूप से ज्यादातर खाद्य वस्तुओं पर आधारित होती है। जब यह National Food Security Act आया और आज पूरे देश में प्रभावी हो गया है, तो निश्चित रूप से इसके कारण नीचे के लोगों को इस Act के कारण सुविधा बढ़ी है। इसलिए यह दर कम रहती है, लेकिन 'मनरेगा' की मजदूरी प्रति वर्ष केन्द्र सरकार से अधिसूचित होती है, 'मनरेगा' की मजदूरी और राज्य चाहते हैं कि वे जो अपनी दर अधिसूचित करें, तो 'मनरेगा' भी उन्हीं के अनुसार करे, लेकिन राज्य में अलग-अलग परिस्थितियां हैं। इसीलिए 'मनरेगा' एक्ट में भी यह कहा गया है कि 'मनरेगा' में जो मजदूरी की दरें हैं, वे प्रति वर्ष अधिसूचित की जाएं और उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं।

Review of MGNREGA

*152. SHRI K.C. RAMAMURTHY: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has reviewed the working/implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and if so, the details thereof and the details of the deficiencies noticed in the review and the corrective measures taken thereon; and

(b) the number of cases where employment has not been provided under MGNREGA and the details of remedial measures taken in such cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAM KRIPAL YADAV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The status of implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is reviewed on a regular basis. The Ministry has a comprehensive system of monitoring and review mechanism for MGNREGS. Central Employment Guarantee Council and State Guarantee Councils periodically monitor implementation of the programme. National Level Monitors, Common Review Missions and Officers of the Ministry visit States/UTs at regular interval to review implementation of the programme.

After the field visits, the findings/shortcomings and recommendations are shared with the States/UTs for appropriate action at their end. Performance review committee

meetings of the Ministry and regular video conferencing on specific issues are also important tools of monitoring. A detailed monitoring framework has been designed to regularly monitor performance indicators with respect to beneficiaries, works and finances.

During the review of the implementation of the MGNREGS, the following areas have been identified for improvement:

- Realistic Planning
- Timely wage payment
- Capacity building of functionaries
- Quality assurance of assets
- Conduct of proper Social Audit
- Grievance redressal system

Major steps have been taken by the Government to address these areas which includes followings.

(i) Guidelines for preparation of realistic labour budget issued.

(ii) Implementation of National electronic Fund Management System (Ne-FMS) and focus on Aadhaar Based Payment system, streamlining fund flow mechanism, and monitoring of timely payment of wages to workers.

(iii) Training of Barefoot Technicians, capacity building of MGNREGA functionaries such as State technical resource team/District technical resource team/Block technical resource team on Mission Water Conservation works, training on Geo-MGNREGA, training to Finance officers of States/UTs on preparation of fund proposals etc.

(iv) Monitoring Framework developed and advisories issued for inspection of MGNREGS works by State, District and Block level officials and National Level Monitors.

(v) Auditing Standards have been issued and States/UTs have been advised to establish independent Social Audit Units, conduct Social Audit as per Audit

of Scheme Rules, training of Village resource persons for conducting Social Audit etc.

(vi) Focused monitoring of all grievances and its disposal.

(b) State/UTs-wise details of households who demanded employment and households provided employment under MGNREGS during 2016-17 are given at in Annexure (See below).

The Government is actively engaged with the State Government in establishing systems that ensure provision of work as per demand. To generate awareness about the provisions of the Scheme and to provide adequate employment opportunities to rural households under MGNREGS, all States/UTs have been requested for the following:

(i) to initiate appropriate Information Education and Communication (IEC) campaigns including wall paintings for wide dissemination of the provisions of the Act.

(ii) to expand scope and coverage of demand registration system to ensure that demand for work under MGNREGA does not go unregistered.

(iii) to organise Rozgar Divas periodically to capture latent demand under the programme and to disseminate awareness about other provisions of the Act.

(iv) to prepare plans in a participatory mode and approve them in the Gram Sabha.

(v) to prepare realistic labour budget by the State.

Annexure

State/UT-wise details of households who demanded employment and households provided employment under MGNREGS during 2016-17

(in lakh)

Sl. No.	States	Households demanded employment (FY : 2016-17)	Households provided employment (FY: 2016-17)
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	40.15	39.55
2.	Arunachal Pradesh	2.07	2.03

1	2	3	4
3.	Assam	17.85	15.73
4.	Bihar	29.8	23.32
5.	Chhattisgarh	25.43	21.32
6.	Goa	0.07	0.07
7.	Gujarat	8.94	7.16
8.	Haryana	3.32	2.81
9.	Himachal Pradesh	5.7	5.28
10.	Jammu and Kashmir	6.77	6.28
11.	Jharkhand	20.77	17.43
12.	Karnataka	21.52	18.2
13.	Kerala	16.06	14.57
14.	Madhya Pradesh	33.73	28.03
15.	Maharashtra	16.13	14.34
16.	Manipur	5.2	5.16
17.	Meghalaya	4.22	4.15
18.	Mizoram	1.89	1.89
19.	Nagaland	4.21	4.19
20.	Odisha	23.55	20.37
21.	Punjab	6.11	5.36
22.	Rajasthan	50.99	46.35
23.	Sikkim	0.7	0.68
24.	Tamil Nadu	62.96	62.61
25.	Telangana	27.63	25.34

1	2	3	4
26.	Tripura	5.86	5.77
27.	Uttar Pradesh	58.38	50.21
28.	Uttarakhand	5.97	5.45
29.	West Bengal	62.89	58.28
30.	Andaman and Nicobar	0.11	0.1
31.	Dadra and Nagar Haveli	0	0
32.	Daman and Diu	0	0
33.	Lakshadweep	0	0
34.	Puducherry	0.35	0.31
	TOTAL	569.31	512.34

Source: www.nrega.nic.in

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, NREGA is one of the most important interventions of the UPA Government. It is basically planned to ameliorate the living conditions of the poor unskilled people. If you look at the implementation of NREGA, it is unevenly implemented across the States and this has resulted in uneven rural empowerment.

So, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that as per the survey conducted in 2015 by the National Council of Applied Economic Research, in collaboration with University of Maryland, 70 per cent of the poor are not able to get employment due to poor implementation and lack of planned work; and, out of 30 per cent of the rural families, who are actually involved in NREGA, 60 per cent want more days of work. So, what are the reasons for this 'work rationing' and how is the Minister planning to address these unmet demands for NREGA work?

श्री राम कृपाल यादवः माननीय सभापति महोदय, माननी सदस्य ने कहा है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, जहां पर मांग के आधार पर लोगों को काम नहीं मिलता है या काम नहीं करते हैं। हमारे पास अभी तक किसी भी राज्य से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट है या इन्फॉर्मेशन है और यदि आप उसको हमारे पास भेजेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे।

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, the hon. Minister has not answered my supplementary. Anyhow, I will go to the second supplementary. I will write to him personally and seek clarification.

Now, I come to my second question. One of the main objectives of NREGA is to provide employment to rural poor and, most importantly, to women. This is clear if you look at the provisions which say that work has to be provided within five kilometres of home, equal wages, etc. But, in spite of these provisions, and implementation of the Act for more than eleven years, you find less than 50 per cent of women participation. My question to the hon. Minister is: what are the reasons that women participation is not going up and what efforts is the Ministry making to ensure that NREGA is made more 'women-friendly' so that the objective of empowering rural women is achieved?

श्री राम कृपाल यादवः सर, यह बिल्कुल सही है कि 'मनरेगा' जैसी महत्वपूर्ण योजना गांव की गरीबी दूर करने में सहायक भूमिका अदा कर रही है और साथ ही साथ बेरोजगारी भी दूर करने में भी सहायता कर रही है। 'मनरेगा' का मूल उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, ताकि लोग गांव में रहकर अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। यह 'मनरेगा' इस मूल उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, महिलाओं की भागीदारी का जो स्टैंडर्ड मानक है, उसके अनुसार उनकी भागीदारी 33 per cent होनी चाहिए। महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज के दिन 56 प्रतिशत महिलाएं काम कर रही हैं और महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का भी काम किया है। यही नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 40 प्रतिशत लोगों की भी इसमें भागीदारी हो रही है, इसलिए यह कहना कि महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, यह सर्वथा उचित नहीं होगा। मैं यह कह रहा हूं कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसके लिए संबंधित विभाग हर संभव कार्यवाही कर रहा है, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है और हमें इसमें राज्यों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the hon. Minister has given a detailed reply in the matter of improving the MNREGA administration. All details are there. Even the problems raised in the earlier question find a mention that those have attracted the attention of the Government. But the reality is different than what he is claiming in his reply in terms of figures. MNREGA involves 100 days of work. MNREGA gives a right to the rural people to get 100 days of work but the reality is that, throughout the country, average MNREGA workdays is below 50. The reply is referring to the percentage of household demanding work and it sounds somewhat unrealistic. When the agricultural workers are not getting work — it is a national average — even for 90 days in a year, he has given the figures in respect of demand by households for MNREGA work in some of

the States, which he mentioned, ranging from 17 to 40 per cent. I think, this figure is not matching with the reality, and, that way, it is unnecessarily glorifying the picture, which actually is somewhat dark.

My point is that the basic component of the MNREGA is to ensure that there is a right to have 100 days of work. What actions are you taking to ensure the same to all the rural households, which is the mandate of the MNREGA? That is the mandate of MNREGA. What initiatives are you going to take in this regard? The points mentioned in your answer do not attend to this basic point, that is, ensuring the right enshrined in the MNREGA.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह निश्चित रूप से अपनी जगह पर सही है कि मनरेगा के अंतर्गत, मनरेगा में जो पात्र परिवार हैं, उन परिवारों को वर्ष में सौ दिनों का रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन हम मनरेगा को इस दृष्टि से भी देखें कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। अगर कोई व्यक्ति सौ दिनों का रोजगार नहीं करना चाहता, तो सरकार उसे जबरन सौ दिनों का रोजगार नहीं दे सकती है। यह एक बात थी, दूसरी बात यह है कि उस क्षेत्र में, यदि किसी परिवार में तीन लोग हैं और तीनों लोग मनरेगा में बारी-बारी से काम करना चाहते हैं, जिसमें से कोई चालीस दिन काम करता है, कोई तीस दिन काम करता है, कोई बीस दिन काम करता है, उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि जब मनरेगा में संख्या आती है, तो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति ने कितना काम किया है, वही संख्या आती है। सामान्य तौर पर हमने इस बात की लगातार कोशिश की है कि अगर रोजगार की मांग है, तो उसका वहां पंजीयन होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोजगार मांगे, तो उसको किसी भी प्रकार से रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार पाने के कौन-कौन से काम हो सकते हैं, रोजगार पाने के कौन-कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब क्षेत्रों में सब प्रकार से प्रचार-प्रसार की व्यवस्था हो, जिससे कोई भी व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ न रहे कि वह मनरेगा योजना में काम कर सकता है, या वह मनरेगा से मांग कर रहा है, लेकिन उसको कोई काम नहीं दे रहा है, अर्थात् यदि वह काम की मांग करे और उसको काम नहीं मिले, तो हम इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं और इस मामले में लगातार राज्य सरकार के संपर्क में रहते हैं।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Roopa Ganguly. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, 16:30.

MR. CHAIRMAN: No, no. Your question is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, 16 per cent household people are demanding work in the State of Maharashtra, and, 30 per cent households are demanding work in the State of Madhya Pradesh, where maximum number of ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Tapan *ji*, please. Your question is over.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Is this figure given by the Government to the Parliament realitistic? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. You challenge the figures through proper procedures. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI ROOPA GANGULY: Sir, may I start?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: This figure is a misleading figure. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI ROOPA GANGULY: May I start? ...*(Interruptions)*... सर, एक बात यह है कि मैं एक स्टेट के बारे में यहाँ उल्लेख करना चाहती हूँ। वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है। ऐसे स्टेट्स हैं, जहाँ पर exchequer में राशि खत्म हो जाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग-अलग मदों में जो पैसा आता है, जैसे मनरेगा के मद में जो पैसा आता है, वह पैसा वहाँ पर जमा करके उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे वे थोड़ा काम चला लेते हैं। हम लोग किस तरीके से periodically इसका रिकॉर्ड माँग सकते हैं कि मनरेगा का जो पैसा आए, वह तुरंत इतने ही दिनों में उसी मद में चला जाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को ऐसी feeling न हो कि मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। नंबर 2,

MR. CHAIRMAN: Only one question.

श्रीमती रूपा गांगुली: सर, मेरा एक question है। Sorry, Sir, मैं इतना नियम नहीं जानती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि आधार कार्ड को किराए पर लगा कर half-an-hour काम कराके हम लोग मनरेगा के workers को इस तरह से छोड़ देते हैं और वहाँ पर काम नहीं होता है। अगर उनके बारे में केन्द्र सरकार कोई ऐसा प्रावधान कर सके, तो लोगों के लिए अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN: That is a suggestion.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति जी, जहाँ तक आधार का सवाल है, हमारी कोशिश है कि मनरेगा में जो जॉब कार्डधारी व्यक्ति है, हरएक का आधार कार्ड बन जाए। इसके लिए हम लगातार आग्रह भी करते हैं, लगातार कैंप भी लगाते हैं और जो मजदूर हैं, उसकी सहमति लेकर उसका आधार कार्ड बनवाते भी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक मनरेगा में 12 करोड़ जॉब कार्डधारी लोग हैं, उनमें से 10.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनको हम सक्रिय मजदूर मान सकते हैं। उनमें से पाँच-सवा पाँच करोड़ लोग ऐसे हैं, जो मजदूरी करते हैं। 9 करोड़ लागों को आधार से लिंक किया जा चुका है और 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों के आधार को बैंक से लिंक कर दिया गया है, जिससे बहुत सुविधा भी हो गई है। इसलिए मैं बहन से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो उसे काम से नहीं रोका जाएगा। मैंने इसके बारे में पहले भी सदन में आश्वासन दिया है और मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन आधार को बढ़ाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

दूसरा, उनका सवाल पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित है। पश्चिमी बंगाल में मनरेगा की मजदूरी को रोकने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन यदि कोई राज्य मनरेगा के पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करता या मनरेगा का पैसा पात्र स्थान के अतिरिक्त कहीं भी उपयोग करता है, जैसे पश्चिमी बंगाल का एक सवाल आया कि व्यक्तिगत हितग्राहियों के जो तालाब बने हैं, अब उन तालाबों में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, तो मरम्मत का काम मनरेगा के अंतर्गत हो, यह उचित नहीं है। हमारी गाइडलाइन भी इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए हम लोगों ने पश्चिमी बंगाल सरकार से clarification माँगा है और उससे कहा है कि उसने मरम्मत में जो पैसा लगाया है, वह उस पैसे को वापस करे।

श्री दिग्विजय सिंहः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि वर्ष 2016-17 में 5 करोड़ 69 लाख लोगों ने रोजगार माँगा और इन्होंने 5 करोड़ 12 लाख लोगों को रोजगार दिया, यानी 57 लाख लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया। माननीय मंत्री जी, आपने सही फरमाया कि आप कानून का पालन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि यदि किसी मजदूर ने काम माँगा और आपने 15 दिन में उसे काम नहीं दिया, तो आपको उसे one-third of the minimum wage unemployment allowance देना चाहिए और 30 दिन के बाद आधार minimum wage देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन 57 लाख लोगों में से कितने लोगों को आपने unemployment allowance दिया है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से बहुत सही बात कही और माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनरेगा में कभी ऐसा होता है कि 10 लोग मजदूरी माँगने के लिए आए और उन्होंने अपने आपको register कराया। Register कराने के 15 दिन बाद उस क्षेत्र में माँग खुली, तो उनका जो पंजीयन हुआ, उसमें और माँग खुलने में कुछ अन्तर रहता है। जिस दिन काम खुलता है, उस दिन उनको सूचना दी जाती है कि आप काम पर आइए। 10 लोगों ने एक साथ registration कराया, अगर उनमें से 6 लोग ही काम पर आए, 4 लोग कहीं दूसरे स्थान पर काम पर चले गए या नहीं आए, तो इस प्रकार के मजदूरों की संख्या रहती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः सर, कानून का पालन नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... सर, उन्होंने खुद यह स्वीकार किया है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Let the answer be given. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I need your protection. Out of 57 lakhs, how many have been paid unemployment allowance? I want the answer. How many out of 57 lakhs?

MR. CHAIRMAN: Thank you. It is a factual matter.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि मनरेगा में कानून की मंशा के अनुरूप ही काम हो रहा है। कानूनी मंशा के विपरीत इसमें कोई भी काम बिल्कुल नहीं किया जायेगा। ...(**व्यवधान**)... लेकिन जिस संख्या की वे बात कर रहे हैं, वह संख्या अगर काम पर आएगी और उसे काम नहीं दिया जाएगा, तभी ऐक्ट का जो प्रावधान है, वह उन पर लागू होगा। लेकिन अगर वे आएंगे ही नहीं तो प्रावधान कैसे लागू होगा?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, it is based on the answer, which I have received. क्या आप मुझे यह नहीं बता सकते कि 57 लाख लोगों में से आपने कितनों को यह कह दिया है, एक तो दिया है, दो को दिया है या दस को दिया है? ...(**व्यवधान**)... इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी के पास इसका answer ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is a factual question. आप माननीय सदस्य को इसका जवाब बाद में भेज दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः ये स्वीकार कर लें कि इनके पास जानकारी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let the information be. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, आपने जैसा निर्देश दिया है, मैं माननीय सदस्य को शेष जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

दिल्ली में ट्रैफिक की धीमी गति के कारण उत्पन्न प्रदूषण

*153. **चौधरी सुखराम सिंह यादव :** क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सड़कों पर पीक आवर और नान-पीक आवर के दौरान ट्रैफिक में गाड़ियों के धीमी गति से चलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है; और

(ख) दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की अत्यधिक संख्या के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए क्या प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा संबंधित एजेंसियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और किन-किन कारणों से दिल्ली की आबोहवा स्तरविहीन हो रही है और नियंत्रण से बाहर होती जा रही है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) और (ख) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(क) दिल्ली में धूलकण, जेनसेट, अपशिष्ट का जलाना, निर्माण कार्यकलाप, वाहन, उद्योग इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोत वायु प्रदूषण का कारण हैं। परिवेशी वायु में प्रदूषणकारी तत्वों के संकेन्द्रण